न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 298/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/437

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
वेनाराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी–कतवारी सिणली जागीर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी,अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

आदेश

दिनांक 15.01.2024

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 330/145 रकबा 45 बीधा भूमि अवस्थित है। विवादित भूमि प्रार्थी को आवंटित हूई,जिसका गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज कराने का नामान्तकरण संख्या 401 भरा गया,जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत 2031–34 में किया गया। इसके आगे की जमाबंदी बनी,जिसमें प्रार्थी की जाति जाट के स्थान पर रेबारी दर्ज कर दी गई है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश इन्द्राज हुई है। अतः प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दायर प्रविष्टि वेनाराम पुत्र राजू जाति राईका के स्थान पर जाति जाट दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया।

3.प्रार्थी पक्ष की ओर से साक्ष्य में स्वंय वेनाराम व स्वंतत्र गवाहान नवलारा[illegible]म के लिखित बयानात स्वरूप शपथ पत्र पेश किए गए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

4.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन–पत्र [illegible] बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सिणली जागीर तहसील पचप[illegible] की खसरा संख्या 330/145 रकबा 45 बीधा भूमि अवस्थित है। विवादित भूमि प्रार्थी को आवंटित हूई,जिसका गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज कराने का नामान्तकरण संख्या 401 भरा गया,जिसका इन्द्राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

जमाबंदी संवत 2031–34 में किया गया.इसके आगे की जमाबंदी बनी,जिसमें प्रार्थी की जाति जाट के स्थान पर रेबारी दर्ज कर दी गई है,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश इन्द्राज हो रखी है। जबकि सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी की वास्तविक जाति जाट का अंकन है,लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी की जाति जाट के स्थान पर रेबारी गलत इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अपनी बहस को आगे जारी रखतें हुए कथन किया कि विप्रार्थी की ओर से जवाब में भी प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने का समर्थन किया है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में प्रार्थी की जाति राईका के स्थान पर जाट दर्ज किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

5.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने निवेदन किया कि विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जा चुका है,जो प्रार्थी का आवेदन का निस्तारण किया जावें।

6.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड ,दस्तावेजात एवं लिखित बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 330/145 क्षेत्रफल 7.2843 हैक्टयर भूमि प्रार्थी वेनाराम पुत्र राजू जाति राईका की खातेदारी में इन्द्राज है। विवादित भूमि में प्रार्थी जाति राईका के स्थान पर जाति जाट दुरूस्त करवाना चाहता है। विवादित भूमि की चौसाला जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में प्रार्थी की जाति जाट दर्ज हो रखी है,उक्त चौसाला जमाबंदी से अगली जमाबंदी संवत 2034 से 2036 में प्रार्थी की जाति रेबारी इन्द्राज हो रखी है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटि के कारण विवादित भूमि में प्रार्थी की गलत जाति इन्द्राज की गई है। इस प्रकार यह भली भांति स्पष्ट है,कि प्रार्थी की वास्तविक जाति जाट है,जो जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में सही इन्द्राज हो रखी है और अगली जमाबंदी बनाते समय प्रार्थी की जाति जाट के स्थान पर रेबारी इन्द्राज की गई है,जो कि लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी की राजस्व रेकर्ड में गलत जाति इन्द्राज की गई है। जबकि विवादित भूमि के अलावा अन्य प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ग्राम सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 51 व ग्राम कतवारी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 449/298 , 296 ,297 ,316 ,455/308,474/338 भूमि में प्रार्थी की जाति जाट दर्ज हो रखी है। प्रार्थी के भाई नवलाराम व सत्ताराम ने अपने अपने बयानात में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि में प्रार्थी की गलत जाति राईका इन्द्राज है,जबकि प्रार्थी हमारा सगा भाई है और हमारी जाति जाट है। उक्त तथ्यों की ताईद उप तहसीलदार दूदवा की रिपोर्ट से भी होता है कि प्रार्थी की राजस्व रेकर्ड में जाति राईका गलत इन्द्राज हो रखी है,जबकि प्रार्थी जाति से जाट है। उप तहसीलदार [illegible] प्रार्थी की जाति राईका के स्थान पर जाति जाट दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। [illegible] प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपनी वास्तविक जाति जाट दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kuma
Date: 2024.03.03 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सिणली जागीर पटवार हल्का सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 330/145 क्षेत्रफल 7.2843 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी की अशुद्व जाति प्रविष्टि राईका के स्थान पर शुद्व प्रविष्टि जाति जाट दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 15.1.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested